न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– प्रदीप सिंह सांगावत, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 9/2023 (राजसमन्द डिक्री)

ललित कुमार जैन पिता स्व. श्री कन्हैयालाल कोठारी, निवासी बीच बाजार, महावीर जैन बाल विद्या मंदिर के पास, भीम, तहसील भीम, जिला राजसमन्द हाल निवासी वी–01, फ्लेट नंबर 102, विनय नगर, ब्राण्ड फैक्ट्री के पीछे, मीरा भायन्दर रोड़, मीरा रोड़ ईस्ट, ठाणे (महाराष्ट्र)

.... अपीलान्ट

बनाम

1. प्रकाश कोठारी पिता स्व. श्री कन्हैयालाल कोठारी, निवासी बीच बाजार, महावीर जैन बाल विद्या मंदिर के पास, भीम, तहसील भीम, जिला राजसमन्द (राज.)
2. श्रीमती अंजता पत्नी धनपाल जैन पुत्री पिता स्व. श्री कन्हैयालाल कोठारी, निवासी बीच बाजार, महावीर जैन बाल विद्या मंदिर के पास, भीम, तहसील भीम, जिला राजसमन्द हाल निवासी फ्लेट A/402, रत्ना राजुल सोसायटी, अमृत नगर, पटेल नगर, एम.जी. रोड़ कांदिवली वेस्ट, मुम्बई (महाराष्ट्र)
3. श्रीमती अंजना पत्नी बसन्तीलाल चपलोत पुत्री पिता स्व. श्री कन्हैयालाल कोठारी, निवासी बीच बाजार, महावीर जैन बाल विद्या मंदिर के पास, भीम, तहसील भीम, जिला राजसमन्द हाल निवासी साई प्रसाद अपार्टमेन्ट, फ्लेट नंबर 9, थर्ड फ्लोर, सोसायटी रोड़ नंबर के सामने, जोगेश्वरी (ईस्ट), मुम्बई (महाराष्ट्र)
4. श्रीमती मंजु पत्नी राजकुमार कोठारी पुत्री पिता स्व. श्री कन्हैयालाल कोठारी, निवासी बीच बाजार, महावीर जैन बाल विद्या मंदिर के पास, भीम, तहसील भीम, जिला राजसमन्द हाल निवासी फ्लेटइ नंबर 103, गणेश दर्शन, प्रताप नगर, बस स्टाप, जोगेश्वरी (ईस्ट), मुम्बई, महाराष्ट्र 400060

.... रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्त. अधि0 1955 विरूद्ध निर्णय व
डिक्री उपखण्ड अधिकारी भीम दिनांक
28–12–2022 प्रकरण संख्या 63/2021

———::———

उपस्थित (वक्त बहस) :– 1– श्री दुर्गासिंह शक्तावत अभिभाषक अपीलान्ट

2– श्री [illegible] अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट सं. 1

—::—

[illegible] दिनांक 30–01–2024

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:28:42 IST
Reason: SelfAttested

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय [illegible] रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी

भू.प्र.अ. एवं रा.अ.अ.
उदयपुर (राज.)

अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा बरतु, तहसील भीम में आराजी नंबर 16364/11682 रकबर 0.4856 हैक्टर, आराजी नंबर 11572 रकबा 1.0400 हैक्टर एवं आराजी नंबर 11573 रकबा 0.0700 हैक्टर भूमि स्थित है, जो वादी की मां श्रीमती सुन्दर बाई पत्नी कन्हैयालाल जी महाजन (कोठारी) की खरीदशुदा स्वअर्जित आराजियात है। वादी की मां ने स्वेच्छा से सोच समझकर वादी की सेवा से खुश होकर दिनांक 11–11–2018 को 10/– रूपये के स्टाम्प पर गवाहन के सामने उसके पति एवं वादी के पिता कन्हैयालाल जी ने एक वसीयत लिख वादी के पिता एवं दो गवाहान के हस्ताक्षर कर वादी को सिपुर्द कर दिया, तब से वादी उक्त आराजियात पर निरन्तर काबिज चला आ रहा है। वादी ने उक्त भूमि को काफी लागत व मेहनत लगाकर विकसित किया है तथा फलदार वृक्ष व पौधे लगाये हैं। दिनांक 20–04–2019 को वादी की माता श्रीमती सुन्दर बाई का देहान्त हो गया, किन्तु प्रतिवादीगण द्वारा वसीयत को छुपाते हुए नामान्तरकरण सभी के नाम करवा लिया, जबकि वसीयत के पूर्व से वादी उक्त आराजियात पर काबिज चला आ रहा है। भूमि की कीमत बढ़ जाने से प्रतिवादीगण विवादित भूमि हड़पना चाहते हैं। अतः वादी का वाद स्वीकार कर विवादित आराजियात का खातेदार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 28–12–2022 से वादी का वाद स्वीकार कर डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 21–02–2023 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोन्डेन्टगण को जरिये सम्मन तलब किया गया, जिस पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से उनके अधिवक्ता श्री संजय बोहरा उपस्थित हुए। शेष रेस्पोन्डेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब कर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मेमों में वर्णित तथ्यों को वक्त बहस पुनः दोहराते हुए बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने सिविल प्रकिया की अनदेखी करते हुए मनमकसूद तरीके से बिना किसी साक्ष्य एवं प्रकिया के निर्णय पारित किया है। वादी/रेस्पोन्डेन्ट ने विवादित आराजियात अपनी मां से वसीयत से प्राप्त होना बताते हुए एकल खातेदार बताया है, जबकि मां की मृत्यु के बाद विरासत का नामान्तरकरण सभी वारिसों के नाम स्वीकृत हुआ है। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 से पंजीकृत हक त्याग भी करवाया है, जिसको कोई चुनौती नहीं दी गयी है तथा बाद में रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 के मन में बदनियति आ जाने से स्वर्गीय श्रीमती

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:28:42 IST
Reason: SelfAttested

अ.प्र.अ. एवं रा.अ.अ.
उदयपुर (राज.)

सुन्दर बाई की मिथ्या वसीयत के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया तथा अपीलान्ट की गलत व अपूर्ण पते पर तामिल करवाकर बाले–बाले एकपक्षीय डिक्री प्राप्त कर ली है, जबकि वसीयत के आधार पर किसी के अधिकारों का निर्वचन राजस्व न्यायालय द्वारा नहीं दिया जा सकता, केवल मात्र सिविल न्यायालय को ही वसीयत के आधार पर घोषणा का श्रवणाधिकार प्राप्त है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट व रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 से 4 की तामिल बिना विधिक प्रक्रिया के मानकर अनरजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर वादी/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 को खातेदार घोषित किया है, जो विधि विरूद्ध होने से अपास्त योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त फरमायी जावे तथा प्रकरण पुनः अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर देकर साक्ष्यों के आधार पर निर्णय किये जाने हेतु रिमाण्ड किया जावे। अपने कथन के समर्थन में न्यायिक नजीरें 2017 0 Supreme (Raj) 119, 2017 175 AIC 488, 2017 0 AIR (CC) 2529; 2017 3 CivCC 160; 2017 4 DNJ 1825; 2017 3 RLW (Raj) 1913; 2017 2 RRT 918; 2017 2 WLC 481; 2018 3 WLN 398, 2007 0 Supreme (Raj) 195; 2007 2 RLW (RJ) 810, 2004 0 Supreme (Raj) 693; 2005 1 RLW (RJ) 567, 1996 0 Supreme (Raj) 47; 1996 3 RLW (RJ) 393, 2022 0 Supreme (Raj) 870 प्रस्तुत की।

उक्त बहस का जवाब देते हुए विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने निवेदन किया कि वादी/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने अपनी माता की सेवाचाकरी की थी, जिससे खुश होकर माता श्रीमती सुन्दर बाई ने अपने पति अर्थात वादी के पिता की मौजूदगी में अपनी स्वअर्जित आराजियात की वसीयत की थी, जिसका उन्हें पूर्ण अधिकार था। वादी/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा वसीयत के गवाहों से अपने वाद को साबित कराया गया है। अपीलान्ट व रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 से 4 को विधिक प्रक्रिया के तहत तामिल करवायी गयी है, किन्तु उनकी ओर से कोई भी उपस्थित नहीं होने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही करते हुए वादी का वाद डिक्री किया है, जो विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जावे। अपने कथन के समर्थन में न्यायिक नजीरें RRD 1993 Page 90, RBJ (15) 2008 Page 526, RRT 2014-15 (Supp.) Page 649, D.N.J. 2021 (2) Page 380, CT (S.C.) 2003 (2) Page 463, RRT 2002 (2) Page 786 प्रस्तुत की।

हमने विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलान्ट की यह आपत्ति कि उसे गलत पते तामिल करवायी गयी है, उचित प्रकट नहीं होता है, क्योंकि अपीलान्ट ने हमारे सम्मुख जो फोटो पते की प्रतियां प्रस्तुत की गयी हैं, उसके अनुसार सम्मन तामिल अपीलान्ट के सही पते पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:28:42 IST
Reason: SelfAttested

न्या.प्र.अ. एवं रा.अ.अ.
उदयपुर (राज.)

करवाये जाना प्रकट होता हैं। जहां तक वसीयत का प्रश्न है, विवादित आराजी नंबर 11572 रकबा 1.0400 हैक्टर एवं आराजी नंबर 11573 रकबा 0.0700 हैक्टर भूमि जमाबन्दी संवत् 2071 से 2074 में सुन्दरबाई पत्नी कन्हैयालाल महाजन के खातेदारी में दर्ज है, जो सुन्दरबाई द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र की जाना प्रस्तुत विक्रय पत्रों से स्पष्ट है। ऐसी स्थिति में विवादित आराजियात वसीयतकर्ता सुन्दरबाई की निजी सम्पत्ति है एवं वसीयतकर्ता द्वारा अपनी निजी आराजियात की ही वसीयत की गयी है, जिसका उसे पूर्ण अधिकार है। हालांकि उक्त वसीयत रजिस्टर्ड नहीं है, किन्तु उक्त वसीयत को वादी स्वयं के बयानों एवं उस पर साक्ष्य देने वाले दिलीप कुमार तथा पड़ोसी दीपक के बयानों से साबिक करवाया गया है। इस संबंध में अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक नजीर आर.आर.टी. 2002 (2) पेज 786 अनुसार वसीयत का रजिस्टर्ड होना आवश्यक नहीं है, वसीयत किसी सादे कागज पर भी लिखी जा सकती है। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त वसीयत के आधार पर वादी/रेस्पोन्डेन्ट का वाद डिक्री किया है, जो विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं। जहां तक अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक नजीरों का प्रश्न है, उनका हमारे द्वारा अध्ययन किया गया, जिनके तथ्य वर्तमान प्रकरण से भिन्न होने के कारण चस्पा नहीं होते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 28–12–2022 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय आज दिनांक 30–01–2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(प्रदीप सिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:28:42 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत............भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.........मुकाम..............उदयपुर............
व इजलास ....प्रदीप सिंह सांगावत, आर.ए.एस. ....

ललित कुमार पिता स्व. कन्हैयालाल कोठारी निवासी बिच बाजार, महावीर जैन बाल विद्या मंदिर के पास, भीम हाल नि.–वी–01, फ्लेट नं. 102, विनय नगर, ब्राण्ड फैक्ट्री के पीछे, मीरा भायन्दर रोड़, मीरा रोड़ ईस्ट, ठाणे महाराष्ट्र

बनाम

प्रकाश पिता स्व. कन्हैयालाल कोठारी निवासी बिच बाजार, महावीर जैन बाल विद्या मंदिर के पास, भीम, तह0 भीम, जिला राजसमन्द व अन्य

अपील नं......9 / 2023........व नाराजगी डिगरी अदालत ....उपखण्ड अधिकारी ....
...........भीम....... मुकाम...............मुवर्खे.........28..........माह..............12..............2022........................

दावा बाबत

यह अपील व तारीख..........30..........माह............01.......सन् 2024 रूबरू...........पक्षकारान
व हाजरी..........श्री दुर्गासिंह शक्तावत............मिनजानिब अपीलान्ट व.................श्री संजय बोहरा

...........रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि........ अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 28–12–2022 यथावत रखी जाती है।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग..........X...........).....रूपये .... X..........
अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का........................ X ....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख...........30............माह...........01.............2024
को जारी किया गया।

(प्रदीप सिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील			1. स्टाम्प वकालत नामा...		
2. स्टाम्प वकालत नामा			2. स्टाम्प अर्जी		
3. इजराय हुक्मनामा			3. इजराय हुक्मनामा		
4. वकील फीस बाबत			4. [illegible]		
मीजान			मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकैन का कुल खर्चा [illegible] का चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:28:42 IST
Reason: SelfAttested